न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धाराअंतर्गत	ग्राम	तहसील
41/25	88,89, RTA	चांदपुरा	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जितेन्द्र मेघवाल वगै0	बनाम	कन्या बाई वगै0

वकील :–	श्री रामसिंह ऐरवाल एड0	आदेश पत्रक	वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध आदेश
24.04.2025	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.05.2025 को पेश हो।	
9-5-25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादीगण को नोटिस अजारी। पत्रावली वास्ते जारी नोटिस हो दिनांक 25-6-25 को पेश हो।	
26/5/25	पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई किये जाने हेतु पेश करने पर तलब की गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 CPC पेश किया। स्वीकार किया जाकर शामिल रहे। वकील वादी प्रार्थना पत्र शीघ्र ~~हेतु~~ सुनवाई स्वीकार किया जाकर शामिल रहे। पत्रावली वास्ते पेश करने संशोधित शीर्षक दिनांक 28/5/25 को पेश हो।	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया। कॉपी दी जाकर शामिल किया गया। प्रतिवादी क्र. 1 व 6 की ओर से श्री जगदीश [illegible] एड0 द्वारा वकालतनामा के साथ इकबालिया जवाब पेश किया गया। कॉपी दी जाकर शामिल रहे। पत्रावली वास्ते कार्यवाही दिनांक 30/5/25 को पेश हो।	

कार्यवाही एवं आदेश

30/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। ~~वकील~~ साक्ष्य प्रार्थी में श्री जितेन्द्र मेघवाल पु० राजेन्द्र मेघवाल PW-1 व श्री सुनील मेघवाल पु० राजेन्द्र मेघवाल PW-2 का शपथ पत्र पेश हुआ। अप्रा० पक्ष रहे। वकील अप्रार्थी जिरह नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 02/6/25 को पेश हो।
02/6/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रपक्ष के वकील उप०। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली वास्ते TDR रिपोर्ट 09/6/25 को पेश हो।
09/6/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उप०। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इन्तजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 11/6/25 को पेश हो।
11/6/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उप०। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इन्तजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 13/6/25 को पेश हो।
13/6/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उप०। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर वाद आंशिक स्वी० किया गया। पत्रावली फैसल होकर शामिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 41/25
दायरा दिनांक :– 24.04.2025
निर्णय दिनांक :– 13/6/2025

उनवान

1. जितेन्द्र मेघवाल आयु 24 वर्ष स्व0 श्री राजेन्द्र मेघवाल
2. सुनीता मेघवाल आयु 22 वर्ष स्व0 श्री राजेन्द्र मेघवाल
3. योगेन्द्र मेघवाल आयु 20 वर्ष पुत्र स्व0 राजेन्द्र मेघवाल
4. गीता आयु 43 वर्ष पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र मेघवाल जातिगण मेघवाल निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां हाल निवासीगण बिजासन माता का चौक नयापुरा कोटा जिला कोटा राज0

–वादीगण

बनाम

1. कन्या बाई पुत्री श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
3. छोटूलाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
4. भंवरलाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0

4/1 ओमप्रकाश पुत्र स्व श्री भंवरलाल (मृतक)
4/1/1 रोहित पुत्र स्व श्री ओमप्रकाश
4/1/2 नितेश पुत्र स्व ओमप्रकाश
4/1/3 पायल पुत्री स्व श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान नाबालिग़ान जर्येवली संरक्षक सरपरस्त माता श्रीमति ललिता बाई पत्नी स्व श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
4/1/4 मुस्कान पुत्री स्व श्री ओमप्रकाश पत्नी श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी ग्राम फ़तेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान हाल निवासी मोडक जिला कोटा राजस्थान
4/1/5 ललिता पत्नी स्व श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
4/2 महावीर पुत्र स्व श्री भंवरलाल
4/3 सुखवीर पुत्र स्व भंवरलाल

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

4/4 गंगा बाई पत्नी स्व भंवरलाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान

5 राकेश पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान

6 सीता बाई पत्नी स्व श्री रामप्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान

7 राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राजस्थान

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :— 13/6/2025

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री रामसिंह ऐरवाल एड0 — वादीगण
2. श्री जयेश सक्सेना एड0 — प्रतिवादीगण

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके ग्राम माल ग्राम चांदपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में स्थित आराजी खाता संख्या नया 46 पुराना 46 में वर्णित खसरा नं0 225 की रकबा 1.55 हे0, कुल 1 किता कुल रकबा 1.55 हे0 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण के पिता/पति का हिस्सा 1/5 राजस्व रिकार्ड शामलाती खातेदारी में दर्ज है। जो इस प्रार्थना पत्र/वादपत्र की विषयवस्तु है तथा इसे आगे विवादित भूमि कहा गया है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में अंकित के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण/वादीगण के पिता/पति का नाम राजेन्द्र मेघवाल पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह फतेहपुर खातेदार के स्थान पर पप्पू पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1/5 सा0 देह फतेहपुर खातेदार राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है जो गलत है क्योकि प्रार्थीगण/वादीगण के पति/पिता का वास्तविक नाम राजेन्द्र मेघवाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान है किन्तु वादीगण के दादा/ससुर श्रद्नी बिरधीलाल पुत्र श्री नेनगीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां का स्वर्गवास होने के उपरान्त इन्तकाल खोलते समय उक्त वर्णित आराजी में वादीगण के पति/पिता का नाम श्री राजेन्द्र मेघवाल के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया गया है जो गलत है जबकि वादीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम राजेन्द्र मेघवाल है। तथा वादीगण के पिता/पति के सभी दस्तावेजों में व वादीगण के सभी दस्तोवजों वादीगण के पिता/पति का नाम राजेन्द्र मेघवाल अंकित है जो सही नाम है जिसकी पुष्टि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से होती है जिसकी प्रतियॉ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण के पिता/पति श्री राजेन्द्र मेघवाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां का स्वर्गवास दिनांक 06.12.2024 को हो चुका है तथा वादीगण ही मृतक राजेन्द्र मेघवाल के वैध वारिसान एवं उत्तराधिकारीगण है। वाके माल ग्राम चांदपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में स्थित आराजी खाता संख्या नया 46 पुराना 46 में वर्णित खसरा नं0 225 की रकबा 1.55 हे0 कुल 1 किता कुल रकबा 1.55 हे0 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम राजेन्द्र मेघवाल के स्थान पर पप्पू गलत दर्ज होने के कारण वादीगण के पिता/पति श्री

उपखण्ड अधिकारी
बारां

न्द्र मेघवाल का इन्तकाल वादीगण के नाम नही खोला जा रहा है। इस कारण वादीगण को
फी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिये न्यायहित में प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में
वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में वादीगण के पिता/पति का नाम पप्पू
पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1/5 सा0 फतेहपर खातेदार के स्थान पर राजेन्द्र मेघवाल सा0 देह
खातेदार दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर वाके माल ग्रमा चांदपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां के
राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम पप्पू पुत्र बिरधीलाल का हिस्सा 1/5 सा0
फतेहपुर खातेदार के स्थान पर राजेन्द्र मेघवाल पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल सा0
देह फतेहपुर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें अन्य न्यायोचित सहायता जो भी
न्यायालय श्रीमान उचित समझे वह वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया
गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा
कोई आपत्ति नही होना बताया गया है तथा पेरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब/वाद जांच
रिपोर्ट पेश की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम चांदपुरा सम्वत्
2073–76 खाता संख्या नया 46, पुराना खाता संख्या 46, फोटो प्रति आधार कार्ड जितेन्द्र
मेघवाल, फोटो प्रति आधार कार्ड सुनील मेघवाल, फोटो प्रति आधार कार्ड योगेन्द्र मेघवाल, फोटो
प्रति आधार कार्ड गीता, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र राजेन्द्र मेघवाल दिनांक 06.12.2024, फोटो
प्रति राशन कार्ड राजेन्द्र मेघवाल, फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र गीता , फोटो प्रति जनआधार कार्ड
गीता, पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा
वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी
वाके ग्राम माल ग्राम चांदपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में
स्थित आराजी खाता संख्या नया 46 पुराना 46 में वर्णित खसरा नं0 225 की रकबा 1.55 हे0,
कुल 1 किता कुल रकबा 1.55 हे0 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण/वादीगण के पिता/पति का
हिस्सा 1/5 राजस्व रिकार्ड शामलाती खातेदारी में दर्ज है। जो इस प्रार्थना पत्र/वादपत्र की
विषयवस्तु है तथा इसे आगे विवादित भूमि कहा गया है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में अंकित के
राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण/वादीगण के पिता/पति का नाम राजेन्द्र मेघवाल पुत्र बिरधीलाल
हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह फतेहपुर खातेदार के स्थान पर पप्पू पुत्र बिरधीलाल हिस्सा
1/5 सा0 देह फतेहपुर खातेदार राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है जो गलत है क्योकि
प्रार्थीगण/वादीगण के पति/पिता का वास्तविक नाम राजेन्द्र मेघवाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति
मेघवाल निवासी फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान है किन्तु वादीगण के दादा/ससुर
श्रझी बिरधीलाल पुत्र श्री नेनगीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां का
स्वर्गवास होने के उपरान्त इन्तकाल खोलते समय उक्त वर्णित आराजी में वादीगण के
पति/पिता का नामं श्री राजेन्द्र मेघवाल के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया गया है जो गलत है
जबकि वादीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम राजेन्द्र मेघवाल है। तथा वादीगण के
पिता/पति के सभी दस्तावेजों में व वादीगण के सभी दस्तोवजों वादीगण के पिता/पति का नाम
राजेन्द्र मेघवाल अंकित है जो सही नाम है जिसकी पुष्टि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज
से होती है जिसकी प्रतियॉ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण के पिता/पति श्री राजेन्द्र

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

...ल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां का स्वर्गवास ...क 06.12.2024 को हो चुका है तथा वादीगण ही मृतक राजेन्द्र मेघवाल के वैध वारिसान एवं ...तराधिकारीगण है। वाके माल ग्राम चांदपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान में स्थित आराजी खाता संख्या नया 46 पुराना 46 में वर्णित खसरा नं0 225 की रकबा 1.55 हे0 कुल 1 किता कुल रकबा 1.55 हे0 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम राजेन्द्र मेघवाल के स्थान पर पप्पू गलत दर्ज होने के कारण वादीगण के पिता/पति श्री राजेन्द्र मेघवाल का इन्तकाल वादीगण के नाम नही खोला जा रहा है। इस कारण वादीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिये न्यायहित में प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में वादीगण के पिता/पति का नाम पप्पू पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1/5 सा0 फतेहुपर खातेदार के स्थान पर राजेन्द्र मेघवाल सा0 देह खातेदार दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्रमा चांदपुरा पटवार हल्का फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम पप्पू पुत्र बिरधीलाल का हिस्सा 1/5 सा0 फतेहपुर खातेदार के स्थान पर राजेन्द्र मेघवाल पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह फतेहपुर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वह वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर में चांदपुरा के खसरा नं0 225 रकबा 1.55 हे0, किशम नहरी 2 में खातेदार पप्पू पुत्र बिरधीलाल हि0 1/5 जाति मेघवाल निवासी फतेहपुर दर्ज रिकार्ड है। जिसमें पप्पू की मृत्यु हो चुकी है। अन्य सहखातेदार व ग्राम वासियान से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ के पप्पू और राजेन्द्र एक ही व्यक्ति है जो फोत है। मृतक खातेदार पप्पू का नाम नामा संख्या 218 नि0 दिनांक 17.09.2014 विरासत से पिता बिरधीलाल के फोत होने पर दर्ज हुआ है, कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम पप्पू पुत्र बिरधीलाल हिस्साा 1/5 सा0 देह खातेदार के स्थान पर पप्पू उर्फ राजेन्द्र मेघवाल सा0 देह फतेहपुर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम चांदपुरा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 46, पुराना खाता संख्या 46, खसरा नं0 225, में ग्राम चांदपुरा तहसील व जिला बारां की आराजियात में वादीगण के पिता/पति का नाम पप्पू पुत्र बिरधीलाल हिस्साा 1/5 सा0 देह खातेदार के स्थान पर पप्पू उर्फ राजेन्द्र मेघवाल पुत्र बिरधीलाल हिस्सां 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह फतेहपुर खातेदार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। बैंक रहन पूर्वानुसार दर्ज रहेगा। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 41/25	अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट	निर्णय दिनांक– 13/6/25
समक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:– श्री रामसिंह ऐरवाल एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री जेठा मधेला एड0	

वाद शीर्षक

उनवान

1.जितेन्द्र मेघवाल आयु 24 वर्ष स्व0 श्री राजेन्द्र मेघवाल
2.सुनीता मेघवाल आयु 22 वर्ष स्व0 श्री राजेन्द्र मेघवाल
3.योगेन्द्र मेघवाल आयु 20 वर्ष पुत्र स्व0 राजेन्द्र मेघवाल
4.गीता आयु 43 वर्ष पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र मेघवाल जातिगण मेघवाल निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां हाल निवासीगण बिजासन माता का चौक नयापुरा कोटा जिला कोटा राज0

–वादीगण

बनाम

1.कन्या बाई पुत्री श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
2.चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
3.छोटूलाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
4.भंवरलाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राज0
4/1 ओमप्रकाश पुत्र स्व श्री भंवरलाल (मृतक)
4/1/1 रोहित पुत्र स्व श्री ओमप्रकाश
4/1/2 नितेश पुत्र स्व ओमप्रकाश
4/1/3 पायल पुत्री स्व श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान नाबालिगान जर्येवली संरक्षक सरपरस्त माता श्रीमति ललिता बाई पत्नी स्व श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
4/1/4 मुस्कान पुत्री स्व श्री ओमप्रकाश पत्नी श्री ईश्वर जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान हाल निवासी मोडक जिला कोटा राजस्थान
4/1/5 ललिता पत्नी स्व श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
4/2 महावीर पुत्र स्व श्री भंवरलाल
4/3 सुखवीर पुत्र स्व भंवरलाल
4/4 गंगा बाई पत्नी स्व भंवरलाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
5 राकेश पुत्र श्री रामप्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
6 सीता बाई पत्नी स्व श्री रामप्रसाद जाति मेघवाल निवासी ग्राम फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
7 राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां राजस्थान

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम चांदपुरा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 46, पुराना खाता संख्या 46, खसरा नं0 225, में ग्राम चांदपुरा तहसील व जिला बारां की आराजियात में वादीगण के पिता/पति का नाम पप्पू पुत्र बिरधीलाल हिस्साा 1/5 सा0 देह खातेदार के स्थान पर पप्पू उर्फ राजेन्द्र मेघवाल पुत्र बिरधीलाल हिस्सा 1/5 जाति मेघवाल सा0 देह फतेहपुर खातेदार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। बैंक रहन पूर्वानुसार दर्ज रहेगा।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 13/6/2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		